अब तक ३३ सीडीपीओ निलंबित : परवीन

(आज समाचार सेवा)

पटना। प्रशासनिक कार्यों में लापरवाही या गड़बड़ी करने वाले पदाधिकारी अब बख्शे नहीं जायेंगे। अभी तक प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर दो जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, एक सामाजिक सुरक्षा सहायक निदेशक तथा ३३ सीडीपीओ को निलंबित किया गया है। समाज कल्याण विभाग इस दिशा में गहनतम जांच करा रही है। आगे भी अन्य पदाधिकारी गड़बड़ी करने पर विभागीय काररवाई के दायरे में आ सकते हैं। यह कहना है विभाग की मंत्री परवीन अमानुल्लाह का। वे अपने कार्यालय कक्ष में संवाददाताओं को वर्ष २०११ की विभागीय उपलब्धियों के बारे में बता रही थी। उन्होंने बताया कि इंदिरा राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन तथा बिहार निःशक्तता पेंशन योजनाओं को १५ अगस्त से हीं राज्य में जारी राइट टू एक्ट के दायरे में लाया जा चुका है। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना, मुख्यमंत्री सामर्थ्य योजना तथा विकलांग छात्रवृत्ति योजना के लिए वर्ष २०१०-११ से अनुसूचित जातियों के लिए अलग से बजट रखा गया है। वृद्धावस्था पेंशनरों के लिए न्यूनतम आयु ६५ वर्ष से घटा कर ६० वर्ष कर दिया गया है तथा ८० वर्ष से ज्यादा उम्रवाले को ५०० रुपये प्रतिमाह अप्रैल २०११ से बतौर पेंशन भुगतान किया जा रहा है।

✦ वृद्धावस्था पेंशनरों का उम्र घटा
✦ पंचायतों में निःशक्तों का किया जा रहा सर्वेक्षण
✦ ६९,९८६ को मिला मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ

श्रीमती अमानुल्लाह ने बताया कि भिक्षावृत्ति निवारण के लिए स्टेट सोसाइटी फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ अल्ट्रा पुअर का गठन किया गया है तथा भिक्षावृत्ति करनेवाले को स्पेशल वोकेशनल ट्रेनिंग देकर रोजगार पाने योग्य बनाया जायेगा। सामर्थ्य अभियान के तहत ३-४ पंचायतों पर एक शिविर लगाकर निःशक्तों का व्यापक सर्वेक्षण कराया जा रहा है। पिछले वर्ष उनकी संख्या एक लाख अस्सी हजार निःशक्तों को हीं चिन्हित किया गया था, लेंकिन इस वर्ष चार लाख बानवे हजार आठ सौ पच्चीस निःशक्त चिन्हित किए गए हैं।

समाज कल्याण निदेशालय की उपलब्धियों पर उन्होंने कहा कि बाल संरक्षण कार्य के तहत पटना एवं बेगूसराय में दो बालगृह अभी कार्यरत है। १५ जिलों में रिक्त ५२५ पद भरे जा चुके हैं। १० पर्यवेक्षक गृहों में से ६ के लिए खुदके भवन की व्यवस्था कर ली गयी है। किशोर न्याय के लिए २३ जिलों में चाइल्ड वेलफेयर कमिटी पूर्व से हीं गठित है। १७ अन्य जिलों में इसके गठन के लिए प्रयास किया जा रहा है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड सभी जिलों में कार्यरत है। स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी गठित कर बच्चों के लिए ओपेनं शेल्टर बनाए जा रहे हैं। राज्य में ११ जगहों पर इस पर कार्य चल रहा है। मेंटली डिस्टर्व वीमेन के लिए ५० सीटों वाले आसरा गृह बनाने पर भी विचार चल रहा है। उन्होंने आईसीडीएस की बाबत बताया कि पिछले तीन माह से वार-फुट एकसरसाइज चलाकर सभी वरीय पदाधिकारियों को ८० परियोजनाओं की गहन जांच करने का जिम्मा दिया गया। अब आंगनबाड़ी केन्द्रों का सोशल ऑडिट भी कराया जायेगा, जिसके तहत आम सभा बुलाकर सेविकाओं को चेतावनी, आर्थिक दंड एवं निलंबन करने तक का अधिकार क्षेत्र की जनता को दिया गया है। श्रीमती अमानुल्लाह ने कहा कि कन्या सुरक्षा योजना के तहत १२ लाख २२ हजार ३९६ आवेदन प्राप्त हुए थे जिसमें से १० लाख ६६ हजार ६३७ लोग लाभान्वित हुए। इसी तरह मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ ६९,९८६ लोगों को प्राप्त हुआ। इस मद में ३५ करोड़ २४ लाख रुपये व्यय हुए।